

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री गंगाराम

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम

विपक्षी : श्रीमती चतरुबाई

पत्रावली संख्या : 15/24

जीसीएमएस : 2024/48

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 13.12.2024</p> <p>पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र तलबी मय विद्धो का पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी को सुना गया।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वाद विद्धो का पेश कर वाद को इसी स्तर पर विद्धो किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी को प्रार्थना पत्र वाद विद्धो पर सुना गया तथा प्रार्थना पत्र वाद विद्धो को पढकर अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी को सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया। प्रार्थी की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई।</p> <p>चूंकि अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा पत्रावली को इसी स्तर पर विद्धो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में पत्रावली को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद विद्धो का स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर विद्धो फरमाया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p>निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(रमेश सीरवी पुनाडिया) सहायक कलक्टर (SDO)मावली</p>	

